

पत्रांक सं०.NPCC/PMGSY/2020/109

Date: 24/9/2021

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

विषय: जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि. मी. 2 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण-

संदर्भ: 8बी/यू.पी.सी/06/111/2019/एफ.सी./884 dated 07/08/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8बी/यू. पी.सी./06/111/2019/एफ. सी./884 दिनांक 07/08/2020 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी। अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

1. शर्त संख्या 1 के अनुपालना में भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. शर्त संख्या 2 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी की सहमति है।
3. शर्त संख्या 3 के अनुपालना में प्रतिपूरक वनीकरण
 - क) यह बिंदु बद्रीनाथ वन प्रभाग से संबंधित है। प्रतिपूरक वनीकरण के सापेक्ष रुपए 22,08,892.00 वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया गया है।
 - ख) यह बिंदु बद्रीनाथ वन प्रभाग से संबंधित है।
 - ग) गैर वानिकी भूमि राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण नामांतरण एवं **Notification** करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। **guideline para 2.4 (i)** के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्ताव मे प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण कराने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व अरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त बिंदु पर प्रयोक्ता एजेंसी की सहमति है।
 - घ) यह बिंदु वन विभाग से संबंधित है।
4. शर्त संख्या 4
 - क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **WP(C)** संख्या: 202/1995 में **IA** नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी.(Pt 2) दिनांक 18.08.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशों दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.275 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के सापेक्ष रूपये 21,51,675.00 जमा कर दी गई है।

- ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्ती वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद दे हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। इस संबंध में शपथपत्र संलग्न है।
5. शर्त संख्या 5 के अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम ही की जाएगी एवं पेड़ों के कटान की लागत वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।
 6. शर्त संख्या 6 की अनुपालना वन विभाग द्वारा की जानी है।
 7. शर्त संख्या 7 की अनुपालना वन विभाग द्वारा की जानी है।
 8. शर्त संख्या 8 की अनुपालना में एफ आर ए, 2006 का पूर्ण अनुपालना जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जाएगा।
 9. शर्त संख्या 9 का अनुपालना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा की जाएगी।
 10. शर्त संख्या 10 के अनुपालना में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
 11. शर्त संख्या 11 के अनुपालना में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
 12. शर्त संख्या 12 के अनुपालना में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
 13. शर्त संख्या 13 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मज़दूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
 14. शर्त संख्या 14 के अनुपालना में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
 15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
 16. शर्त संख्या 16 के अनुपालना में प्रत्यावर्तन की इस अनुमोदन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
 17. शर्त संख्या 17 के अनुपालना में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
 18. शर्त संख्या 18 के अनुपालना में केंद्र सरकार की पूर्वानुमानित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
 19. शर्त संख्या 19 के अनुपालना में किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
 20. शर्त संख्या 20 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी सहमति देती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
 21. In compliance of the condition no. 20, user agency shall carry out muck disposal in pre designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down and retaining walls/ terracing shall be carried out for holding the dumping materials in place. Stabilization and reclamation of the dumping sites shall be completed before handing over to the state forest department in time bound manner as per plan. Tree felling is not permitted in the much disposal area and State government will submit list of trees saperately In muck disposal area.

22. यदि कोई संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालयी आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अनुमति ली जाएगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।


उप प्रबंधक
एन. पी . सी.सी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड को सूचनार्थ प्रेषित
- 2 जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित
- 3 जोनल मैनेजर, एन. पी . सी.सी, उत्तराखंड जोन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित

दिनांक: 24/09/2021

प्रमाणपत्र

जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि. मी. 2 से मोखमल्ला तक प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8बी/यू. सी.पी./06/111/2019/एफ. सी./884 दिनांक 07/08/2020 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी।

स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या 4 के अनुपालना में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 5-3/2007, एफ सी दिनांक 05/02/2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार गणना करके प्रभावित क्षेत्र एन०पी०वी० की देय धनराशि रुपये **21,51,675.00** (सिर्फ इक्कीस लाख इक्यावन हजार छः सौ पिचहतर रुपये) आनलाइन चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।

शर्त संख्या 4 (ख) के अनुपालना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई है, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो इस परिस्थिति में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अतिरिक्त धनराशि जमा करा दी वचनबद्धता का प्रमाणपत्र संलग्न है।



पी०आई०यू
पी०एम०जी०एस०वाई वक्स